



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271850
CG-DL-E-16042026-271850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]
No. 110]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

सं. 03/2026-2027

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट-2क के तहत अधिसूचित भारत-मॉरीशस सीईसीपीए और भारत नेपाल संधि के लिए टीआरक्यू आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/95/एएम25/पीसी-2(ए)/ई-45286.— विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट-2क का संदर्भ लें, जिसमें सभी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए)/तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) को अधिसूचित किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना संख्या 50/2025-26 दिनांक 24.02.2026 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा संबंधित एफटीए के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्नलिखित उत्पादों के लिए टीआरक्यू आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2026 तक बढ़ाते हैं:

क. भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत टीआरक्यू

क्र. सं.	आईटीसी(एचएस) कोड	विवरण	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा
1.	06031900	ताज़ा : -- अन्य	15 टन
2.	08043000	अनानास	1000 टन
3.	08109060	लीची	250 टन
4.	09051000	वेनिला: न तो कुचला हुआ और न ही पिसा हुआ	15 टन
5.	09052000	वेनिला:कुचला और पिसा हुआ	1 टन
6.	16041410	ट्यूना	सभी वस्तुओं के लिए संयुक्त रूप से 7000 टन
7.	16041490	अन्य	
8.	16042000	अन्य तैयार या संरक्षित मछली	
9.	17011490	विशेष चीनी	15000 टन
10.	22030000	माल्ट से बनी बीयर	2,000,000 लीटर
11.	22060000	फ्रूट वाइन: अन्य किण्वित पेय पदार्थ (उदाहरण के लिए, साइडर, पेरी, मीड, सेक); किण्वित पेय पदार्थ का मिश्रण और गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ, जो कहीं भी निर्दिष्ट या शामिल नहीं है।	5000 लीटर
12.	22084011	2 लीटर या उससे कम रखने वाले कंटेनरों में: - रम	सभी वस्तुओं के लिए संयुक्त रूप से 1.50 मिलियन लीटर
13.	22084012	2 लीटर या उससे कम रखने वाले कंटेनरों में: --- -अन्य	
14.	22084091	अन्य: ---- रम	
15.	22084092	अन्य: ---- अन्य	
16.	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109;6110; 6111; 6112 and 6203; 6304	परिधान और वस्त्रों की सहायक सामग्री। *	7.5 मिलियन पीस **

**कुल 7.5 मिलियन टुकड़ों के कोटे में से, ऐसी सभी वस्तुओं के कुल योग में से कम से कम 5 मिलियन पीस भारत से प्राप्त यार्न/कपड़े से निर्मित होने चाहिए।

इन वस्तुओं की आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक-III में उल्लिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन अनुमति दी जाएगी

ख) भारत-नेपाल संधि के तहत टीआरक्यू

क्रम सं	विवरण	एच एस सं	टीआरक्यू
01.	नेपाल से वनस्पति वसा (वनस्पति)	151620	1लाख मीट्रिक टन
02.	नेपाल से ऐक्रेलिक यार्न	5509	10,000मीट्रिक टन
03.	नेपाल से तांबे के उत्पाद	आईटीसी (एचएस) का अध्याय 74 और 8544	10,000मीट्रिक टन
04.	नेपाल से जिंक ऑक्साइड	2817	2500मीट्रिक टन

उपर्युक्त वस्तुओं के लिए आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक-VI में उल्लिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन अनुमति दी जाएगी।

3. उपर्युक्त सूचीबद्ध उत्पादों के लिए टीआरक्यू आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25.04.2026 है। एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट-2क के तहत अधिसूचित अन्य सभी नियम और शर्तें लागू रहेंगी।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2026--27के लिए भारत-मॉरीशस सीईसीपीएऔर भारत-नेपाल संधि के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 25.04.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th April 2026

No. 03/2026-27

Subject: Amendment to the Last date for submission of TRQ Application for India- Mauritius CECPA and India Nepal Treaty notified under Appendix-2Aof the FTP, 2023 for FY-2026-27 -reg.

F. No. 01/89/180/95/AM-25/PC-2(A)/E-45286.— Reference is drawn to Appendix-2A of the FTP, 2023, wherein all the Free Trade Agreements (FTAs) / Preferential Trade Agreements (PTAs) are notified.

2. In reference to the above, in exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in continuation of the Public Notice no. 50/2025-26 dated 24.02.2026, the Directorate General of Foreign Trade hereby extends the last date for submission of TRQ applications for the FY 2026–27 under the following products under the respective FTAs till 25.04.2026:

a. **TRQ under India- Mauritius CECPA**

S.No.	ITC(HS) Code	Description	Tariff Quota Quantity	Rate
1	06031900	Fresh: -- Other	15 tons	
2	08043000	Pineapples	1000 tons	
3	08109060	Lichi	250 tons	
4	09051000	Vanilla: Neither crushed nor ground	15 tons	
5	09052000	Vanilla: Crushed or ground	1 ton	
6	16041410	Tunas	7000 tons combined for all goods	
7	16041490	Other		
8	16042000	Other prepared or preserved fish		
9	17011490	Specialty Sugar	15000 tons	
10	22030000	Beer made from malt.	2,000,000 litres	
11	22060000	Fruit Wine: Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	5000 litres	
12	22084011	In containers holding 2 l or less: ----Rum	1.50 million litres combined for all goods	
13	22084012	In containers holding 2 l or less: ----Other		
14	22084091	Other: ---- Rum		
15	22084092	Other: ---- other		
16	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112 and 6203; 6304	Articles of Apparel and Clothing Accessories.*	7.5 million pieces**	

**Out of the total quota of 7.5 million pieces, at least 5 million pieces of aggregate of all such items should have been manufactured from yarn/fabric sourced from India.

The import procedure for the items will be permitted subject to the arrangements/ procedure mentioned in Annexure-III of Appendix 2-A of the FTP, 2023

b) **TRQ under the India-Nepal Treaty**

S.no.	Description	HS No.	TRQ
01	Vegetable fats (Vanaspati) from Nepal	1516 20	1 Lakh MT
02	Acrylic Yarn from Nepal	5509	10,000 MT
03	Copper products from Nepal	Chapter 74 of ITC(HS) and 8544	10,000 MT
04	Zinc Oxide from Nepal	2817	2500MT

The import procedure for the above items will be permitted subject to the arrangements/ procedure mentioned in Annexure-VI of Appendix 2-A of the FTP, 2023

3. The last date of filing of TRQ applications for the products listed above is 25.04.2026. All other Terms & Conditions notified under Appendix-2A of the FTP, 2023, apply.

Effect of the Public Notice: The Last date for submission of online applications for Tariff Rate Quota (TRQ) under the **India- Mauritius CECPA and India-Nepal Treaty** for FY 2026-27 is extended till 25.04.2026.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.